कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28011/2019–20 दिनांकः 15.07.2019

समस्त, संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र

विधानसभा अति आवश्यक

विषयः– राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क साईकिल से वंचित छात्राओं के साईकिल दिलवाये जाने के संबंध में।

संदर्भः– माननीय विधायक, महोदया श्रीमती अनिता भदेल (02) द्वारा पक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत चाही गई सूचना के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के कम में लेख है कि विधानसभा प्रकिया नियम 295 के अन्तर्गत माननीय, विधायक महोदया श्रीमती अनिता भदेल (02) द्वारा राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क साईकिल से वंचित छात्राओं को साईकिल दिलवाये जाने के संबंध में सूचना चाही गई है।

अतः आप आज ही अपने अधिनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से गत वर्षो में राजकीय स्कूलो की कक्षा–09 में प्रवेश लेने वाली कोई भी छात्रा साईकिल वितरण लाभ से वंचित नहीं होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सूचना को समेकित कर इस कार्यालय की ई–मेल आईडी caosecedu@gmail.com पर आज ही भिजवाते हुए कार्यालय के वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री सवाई सिंह बारठ के मोबाईल नं. 9251165352 पर तत्काल सूचित करें। विधान सभा प्रकिया नियम 295 के अन्तर्गत चाही गई सूचना समय पर समेकित कर नहीं भिजवाने की स्थिति में आपकी व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28011/2019–20 दिनांकः 15.07.2019

प्रतिलिपी निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को पृष्ठांकित कर लेख है कि विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत चाही गई सूचना संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को भिजवाते हुए आज ही इस कार्यालय को भी ई–मेल द्वारा भिजवायें।
2. **प्रभारी अधिकारी, विधानसभा प्रकोष्ठ को भिजवाकर लेख है** कि **सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा से सूचना प्राप्त होते ही समेकित कर भिजवा** दिया जायेगा ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर